इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 499] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 नवम्बर 2011—अग्रहायण 1, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2011

क्र. 24125-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबन्धों के पालन में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 30 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 22 नवम्बर, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३० सन् २०११

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन अधिनियम, २०११ है.

अनुसूची का संशोधन. २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ७ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनु-क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
"८.	स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, सागर.	प्रखर प्रज्ञा शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति, सागर.	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, एन.एच.-26, ग्राम सिरोंजा, सागर (मध्यप्रदेश).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.
९.	एकेएस विश्वविद्यालय, सतना.	एकेएस पूर्त न्यास, सतना.	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.	एकेएस विश्वविद्यालय, शेरगंज, पन्ना रोड, सतना (मध्यप्रदेश).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग द्वारा राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन किए जाने का उपबंध करती है. उक्त उपबंध के अधीन विनियामक आयोग ने स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, सागर और एकेएस विश्वविद्यालय, सतना के नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है. उक्त अधिनियम की धारा ६ के अधीन राज्य सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए उक्त विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकायों को आशय पत्र जारी कर दिये हैं. उक्त अधिनियम की धारा ९ में उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से संतुष्ट होने के पश्चात् उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसके नाम और विशिष्टयों को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ४ नवम्बर, २०११.

लक्ष्मीकांत शर्मा
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 502] भोपाल, बुधवार, दिनांक 23 नवम्बर 2011—अग्रहायण 2, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2011

क्र. 5413-391-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 30 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 30 of 2011.

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) TRITIYA SANSHODHAN VIDHEYAK, 2011.

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Tritiya Sanshodhan Adhiniyam, 2011.

Amendment of Schedule.

2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 7 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

S. No. (1)	Name of private University (2)	Name of sponsoring body (3)	Mode of forming sponsoring body (4)	Main Campus (5)	Jurisdiction (6)
"8.	Swami Vivekanand University Sagar.	Prakhar Pragya Shiksha Prasar Avam Samaj Kalyan Samiti, Sagar.	Registered Society under the M. P. Societies Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).	Swami Vivekanand University NH-26, Gram Sironja, Sagar (M. P.)	Whole of Madhya Pradesh
9.	AKS University Satna.	AKS Charitable Trust, Satna.	Registered Public Trust under the M.P. Public Trust Act, 1951 (No. 30 of 1951).	AKS University Sherganj, Panna Road, Satna (M. P.).	Whole of Madhya Pradesh..".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 5 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007) provides for evaluating of the proposal of establishment of Private University in the State by the Regulatory Commission constituted under the Act. Under the said provision, the Regulatory Commission has recommended to establish the Private Universities, in the name of Swami Vivekanand University at Sagar and AKS University at Satna, Under section 6 of the said Act, the State Government has issued the letters of intent to the sponsoring bodies of the said Universities, for the said purpose. Section 9 of the said Act provides, this after being satisfied with the report submitted by the Regulatory Commission, a Private University shall be established by incorporating the name and description thereof in the Schedule to the said Act.

2. Hence this Bill.

Bhopal:
DATED 4th NOVEMBER 2011

LAXMIKANT SHARMA
Member-in Charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.